निगरानी 1257-I-15

समक्ष:- सम्मानीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, सागर

1. राजेन्द्र कुमार बहरोलिया तनय स्व.श्री रामकिशन उर्फ विष्णु बहरोलिया
2. सत्य नारायण बहरोलिया तनय स्व.श्री रामकिशन बहरोलिया
दोनों निवासी-खंडापुरा जरूवाखेड़ा तहसील व जिला सागर, म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्त्तागण

// विरूद्ध //

भूमत सींग विश्वकर्मा तनय श्री गोरेलाल विश्वकर्मा
निवासी-छोटा करीला खुरई रोड तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

...प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 और से पुनरीक्षणकर्तागण विरूद्ध आदेश सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय सागर पारित अन्तर्गत द्वितीय अपील प्र.क्र.580/अ-70/2012-13 दिनांक 15 अप्रैल 2015

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं-

1. यह कि, सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश प्रकरण के तथ्यों, रिकार्ड एवं संबंधित विधिक प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2. यह कि, सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौजा जरूवाखेड़ा के हल्का पटवारी की अपुष्ट रिपोर्ट दिनांक 25.9.2010 के आधार पर इस तथ्य को प्रमाणित मान लिया कि इन पुनरीक्षणकर्तागण ने वादग्रस्त भूमि को बखरकर अपने खेत में मिला लिया है। ग्राम पटवारी बिना सीमांकन के ऐसी रिपोर्ट दे ही नहीं सकते थे और प्रकरण के

..2..

B.O.R.
13 MAY 2015
कार्यालय कलेक्टर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

Pg.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1257/14 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि प्रकरण संहिता की धारा 250 से संबंधित होकर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में है। आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा निगरानी मेमो में अंकित हैं। आवेदक अभिभाषक तर्कों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं को विचार में लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के विचाराधीन आदेश दिनांक 15-4-15 का अवलोकन किया गया एवं सूक्ष्मता से परीशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15-4-15 में तथ्यों को विस्तृत रूप से विश्लेषित करते हुए प्रकरण में विद्यमान तथ्यों पर बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15-4-15 स्थिर रखा जाता है तथा उपरोक्त विश्लेषण से प्रकरण में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जा सके। प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	(signature) 2/9/15

[कृ. प. उ.